

आवश्यक सूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में ऐसे समस्त नव नियुक्त कार्मिकों, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, के लिये निगम द्वारा यह सुविधा प्रदान कर दी गयी है कि निगम में अपनी नियुक्ति पर प्रथम योगदान आख्या (joining report) देते समय यदि वे उत्तर प्रदेश में योग्य प्रतिभू (Surety) देने में सक्षम नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) देते हुये कि वे उत्तर प्रदेश से किसी भी योग्य प्रतिभू (Surety) की व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हैं, अपने गृह प्रदेश से ही प्रतिभू (Surety) की व्यवस्था कर सकते हैं।